



UPMI010000012001

न्यायालय ADJ Court NO 01, Mirzapur
पीठासीन अधिकारी- (SUSHRI PRITI SRIVASTAVA-III),
(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06135

सत्र परीक्षण संख्या-354 / 2001

राज्य	बनाम	
		1. शिवबहाल दूबे पुत्र मंहगी लाल, उम्र 56 वर्ष
		2. जगदीश दूबे पुत्र काशी प्रसाद, उम्र 80 वर्ष
		3. पंचदेव पुत्र जगदीश दूबे, उम्र 41 वर्ष
		4. जयप्रकाश पुत्र मंहगी लाल, उम्र 41 वर्ष
		5. पंकज कुमार पुत्र अमरनाथ दूबे, उम्र 38 वर्ष
		समस्त निवासीगण गंगहरा कला, थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर मु0अ0सं0-294 / 2000 अन्तर्गत धारा-147, 148, 323 / 149, 504, 506 308 / 149 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-लालगंज, जनपद-मीरजापुर।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद का आरम्भ वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे के द्वारा दी गयी तहरीर पर अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार के विरुद्ध थाना लालगंज, जिला मीरजापुर में मु0अ0सं0-294 / 2000, अन्तर्गत धारा-147, 148, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किये जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-147, 148, 308, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "प्रार्थी अवनीन्द्र कुमार दूबे पुत्र रामदास, निवासी गंगहरा कला, थाना लालगंज, जिला मीरजापुर का निवासी है। आज दिनांक 08.11.2000 को शाम करीब 04:00 बजे खण्ड विकास अधिकारी लालगंज व उनके कर्मचारी ग्राम सभा गंगहरा कला के पूर्व कार्यो की जांच हेतु पंचायत भवन पर आये थे तथा प्रार्थी को भी बुलवाये। प्रार्थी कस्बा लहंगपुर में था। साईकिल से पंचायत भवन गंगहरा कला पहुंचा कि शिवबहाल पुत्र मंहगी लाल, जगदीश दूबे पुत्र काशी प्रसाद,

पंचदेव पुत्र जगदीश, जयप्रकाश पुत्र मंहगी लाल व पंकज पुत्र अमनाथ, निवासी गंगहरा कला लाठी-डण्डा से लैस थे तथा जगदीश के हाथ में बंदूक थी। जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डे से मारने पीटने लगे। प्रार्थी बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रार्थी के सिर और चेहरे पर काफी चोटें आयी हैं। मौके पर शिवशंकर चौबे पुत्र केवला प्रसाद व सुरेन्द्र पुत्र राजाराम निवासी गंगहरा ने बीचबचाव किया। प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते चले गये। ”

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार के विरुद्ध थाना लालगंज जिला मीरजापुर में मु0अ0सं0-294/2000, अन्तर्गत धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 दिनांक 08.11.2000 को समय 18:35 बजे शाम मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे का खुलासा रोजनामचाआम में रपट नं0-3 समय 18:35 दिनांक 08.11.2000 को किया गया।

4. विवेचक एस0आई0 जगनारायण राय द्वारा मुकदमे की प्रारम्भिक विवेचना की गयी। उनके द्वारा गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये, नक्शानजरी घटनास्थल तैयार किया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-147, 148, 308, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दि0 17.09.2001 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या-354/2001 के रूप में दर्ज हुआ।

5. विभिन्न न्यायालयों से अन्तरित होते हुए उक्त सत्र वाद परीक्षण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा-147, 148, 323/149, 504, 506, 308/149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दि0 02.07.2003 को आरोपित किया गया, उन्होंने दोषी होने के अभिवचन से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में बतौर अभियोजन साक्षी पी0डब्लू-1 वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे, पी0डब्लू-2 सुरेन्द्र, पी0डब्लू-3 डॉ0 एस0डी0 मिश्रा, पी0डब्लू-4 डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा, पी0डब्लू-5 जगनारायण राय (रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर), पी0डब्लू-6 कैलाश नाथ पाठक (सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी), पी0डब्लू-7 अश्वनी कुमार पाण्डेय (सेवानिवृत्त कांस्टेबिल) को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में मूल तहरीर प्रदर्श क-1, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4, नक्शानजरी प्रदर्श क-5, आरोप पत्र प्रदर्श क-6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-7, जी0डी0 कायमी प्रदर्श क-8 दाखिल किये गये हैं।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त **जय प्रकाश दूबे** ने अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य को झूठा व गलत बताया है। मुकदमा गलत चलना कहा है तथा प्रश्न सं0-15 कुछ और कहना है में कहा है कि "मैं घटना के समय मौके पर नहीं था। मैं एल0एल0बी0 की पढ़ाई उस समय (घटना) कर रहा था। मैं निर्दोष हूँ।"

अभियुक्त **जगदीश प्रसाद** ने अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य को झूठा व गलत बताया है। मुकदमा गलत चलना कहा है तथा प्रश्न सं0-15 कुछ और कहना है में कहा है कि "मैं निर्दोष हूँ।"

अभियुक्त **शिवबहाल दूबे** ने अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य को झूठा व गलत बताया है। मुकदमा गलत चलना कहा है तथा प्रश्न सं0-15 कुछ और कहना है में कहा है कि "मैंने कोई मारपीट नहीं की है। मैं निर्दोष हूँ।"

अभियुक्त **पंकज दूबे** ने अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य को झूठा व गलत बताया है। मुकदमा गलत चलना कहा है तथा प्रश्न सं0-15 कुछ और कहना है में कहा है कि "मैं निर्दोष हूँ। घटना के समय मैं मौके पर नहीं था। मैं बारहवीं कक्षा में उस समय पढ़ाई कर रहा था।"

अभियुक्त **पंचदेव दूबे** ने अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य को झूठा व गलत बताया है। मुकदमा गलत चलना कहा है तथा प्रश्न सं0-15 कुछ और कहना है में कहा है कि "मैं निर्दोष हूँ। मैं घटना के समय मौके पर नहीं था। आई.टी.आई. कैलहट से पढ़ाई कर रहा था।"

10. अभियुक्तगण की ओर से सूची 252ख/1 से कागज सं0 252ख/2 से 252ख/4 परिवाद पत्र, का0सं0 252ख/5 से 252ख/8, शिवबहाल का चिकित्सीय रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, का0सं0 252ख/9 व 252ख/10 जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर द्वारा पारित निर्णय व आदेश दि0 27.4.2001 की सत्यापित प्रति, का0 सं0 252ख/11 से 252ख/13 जय प्रकाश दूबे का शैक्षिक अभिलेख, का0सं0 252ख/14 व 252ख/15 व गनेश कुमार दूबे का शैक्षिक अभिलेख, का0सं0 252ख/16 अभियुक्त पंचदेव का अन्तरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र व का0सं0 252ख/17 व 252ख/18 अभियुक्त जगदीश प्रसाद दूबे का पेंशन की प्रति दाखिल की गई है।

11. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधिव्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया।

12. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपने मौखिक तर्क में कहा है कि दि0 08.11.2000 की शाम 04:00 अभियुक्तगण शिवबहाल, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज लाठी-डण्डा से लैस थे तथा जगदीश के हाथ में बंदूक थी। जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डे से वादी मुकदमा को मारने पीटने लगे, जिससे उसके के सिर और चेहरे पर काफी चोटें आयी। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

13. अभियोजन पक्ष के उक्त कथन का बचाव पक्ष द्वारा प्रतिवाद किया गया है। बचाव पक्ष का कथन है कि अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषारोपण के तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहा है तथा दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

14. प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन का यह कथन है कि अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार दि० 08.11.2000 की शाम 04:00 बजे लाठी-डण्डा से लैस थे तथा जगदीश के हाथ में बंदूक थी। जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डे से वादी मुकदमा को मारने पीटने लगे, जगदीश ने बन्दूक के कुन्दे से मारा। इस मारपीट में वादी मुकदमा के सिर और चेहरे पर काफी चोटें आयी तथा वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उक्त कथनों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से 07 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

15. उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना एवं संवीक्षा किये जाने के पूर्व गवाहान के साक्ष्य को उद्धृत किया जाना समीचीन है।

16. अभियोजन द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू-1 **अवनीन्द्र कुमार दूबे** वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "मैं इस मुकदमे का चोटहिल साक्षी हूँ। मैं मुकदमें के मुल्जिमान शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता पहचानता हूँ। ये सभी मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 08.11.2000 को समय करीब 04:00 बजे सायंकाल की है। उस दिन लालगंज खण्ड विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ गंगहरा कला, ग्राम पंचायत के पूर्व कार्यों की जांच के लिए पंचायत भवन पर आये थे। मुझे भी खण्ड विकास अधिकारी पंचायत भवन पर बुलवाये थे। उसी सिलसिले में मैं पंचायत भवन पर पहुंचने ही वाला था कि पंचायत भवन से 45 मीटर पूर्व सड़के के उत्तर साइड में एकाएक शिवबहाल, सतीश प्रसाद, पंचदेव, जयप्रकाश और पंकज मुझे आकर घेर लिए। जिसमें से जगदीश के हाथ में बंदूक थी तथा बकिया लोगों के हाथ में लाठी था। इसके बाद जगदीश ने ललकारा कि मारो साले को जान से। फिर सभी लोग एक राय होकर मुझे लाठी-डण्डे व बन्दूक के कुन्दे से मुझे मारना शुरू किया। मेरे शरीर में काफी चोटें आयी। मेरा सिर फट गया था और खून निकल रहा था। मौके पर शिवशंकर चौबे व सुरेन्द्र कुमार दूबे ने घटना देखा और आकर बीचबचाव किया। सभी मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए अपने-अपने औजार के साथ दक्षिण दिशा की ओर भाग गये। जो खण्ड विकास अधिकारी अपनी टीम के कई लोगों के साथ आये थे, उन लोगों ने भी घटना को अपनी आंखों से देखा। चोट लगने के बाद मेरे गांव के ही पट्टीदार राकेश दूबे मुझे चोटहिल हालत में मोटरसाईकिल पर बैठाकर लहंगपुर चौकी ले गये। राकेश दूबे से बोलकर मैंने घटना के बारे में बोलकर रिपोर्ट लिखाया। पढ़वाकर सुनने के बाद अपना हस्ताक्षर बनाकर कानूनी कार्यवाही हेतु चौकी पर दिया तो रिपोर्टिंग चौकी न होने के कारण मुझे

थाना लालगंज, सिपाही के साथ भेज दिया गया। वहां मेरा रपट दर्ज किया गया और वहां से जरिये पुलिस मेडिकल के लिए जिला अस्पताल मीरजापुर लाया गया, जहां पर मेरा मेडिकल व एक्सरे हुआ। गम्भीर हालत होने के कारण डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया। तीन-चार दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। दवा इलाज हुआ। तब जाकर हालत में कुछ सुधार हुआ। दरोगा जी ने अस्पताल में ही आकर के मेरा बयान लिये थे। गवाह ने रपट बावत तहरीर कागज सं०-3अ/3 देखकर कहा कि यही दरखास्त मैंने राकेश कुमार दूबे से बोलकर लिखवाकर अपना हस्ताक्षर बना के थाने में देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। राकेश कुमार दूबे के लेख व हस्ताक्षर को तथा अपने हस्ताक्षर को गवाह ने पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में दि० 05.12.2013 को जरिये फेहरिश्त 117ख, 117ख/2 हॉस्पिटल मीरजापुर का डिस्चार्ज स्लिप का मूल दाखिल किया है, जो पत्रावली पर मौजूद है।”

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने इस साक्षी ने कहा है कि “एफ०आई०आर० लेखक राकेश दूबे अधिवक्ता हैं और घटना के समय भी अधिवक्ता थे। मैंने स्वयं बोलकर एफ०आई०आर० तहरीर दर्ज कराया था। मारपीट के पांच मिनट बाद मैं रपट लिखाने लहंगपुर चौकी के लिए चला था। राकेश के मोटरसाईकिल पर बैठकर चला था। हमारे साथ शिवशंकर चौबे भी थे।” आगे कहा है कि “मेरे दोनों हाथों से लेकर शरीर में चोटें थी। हाथ सूज गये थे। मेरे पीठ पर चोटें थीं। पांचो मुल्जिमानों ने लाठी से मेरे पीठ पर मारा था। लाठी तान-तान कर मारे थे। मैं गिनती नहीं कर पाया, लेकिन प्रत्येक मुल्जिमानों ने एक से अधिक लाठियां मेरे पीठ पर मारी थी। सबके शाट उभर आये थे। पीठ पर सूजन भी आ गयी थी। डाक्टरी मुआयना करते समय मैंने उन सभी चोटों को दिखा दिया था। मेरे पूरे पीठ पर गर्दन से लेकर कमर तक चोटें थी। तहरीर मैंने होशोहवास में बोलकर लिखवाया था। तहरीर में इस बात को लिखवा दिया था कि जगदीश ने मुझे कुन्दा से मारा था। जगदीश ने कुन्दे से मेरे सिर पर प्रहार किया था। मस्तक पर प्रहार किया था। तहरीर लिखवाने के बाद पढ़कर सुनने के बाद हस्ताक्षर बनाया था। मेरे तहरीर तथा एफ०आई०आर० में जगदीश द्वारा बन्दूक के कुन्दे से मारने वाली बात नहीं लिखी गयी है, इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मेरे एफ०आई०आर० में जो यह बात लिखी है कि जगदीश के हाथ में बंदूक थी। जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डे से मारने पीटने लगे, यह सही लिखा है। मेरा आज के बयान में जगदीश ने मुझे कुन्दे से मारा तथा एफ०आई०आर० में जगदीश द्वारा केवल ललकारने वाली बात लिखी है, दोनों सही है। ललकारने का मतलब मैं जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि ललकारने का मतलब मारना नहीं होता। इस बिन्दु पर दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी से यह बयान दिया था कि जगदीश ने मुझे बन्दूक के कुन्दे से मारा था। अगर मेरे बयान अन्तर्गत धारा-161 जा०फौ० में जगदीश द्वारा बन्दूक के कुन्दे से मारने वाली बात नहीं लिखी है, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।” आगे कहा है कि “घटना घटने के आधे घण्टे बाद मैं थाना लालगंज पहुंच गया था। दरोगा जी थाने पर नहीं थे, बल्कि चौकी पर थे। “आगे सुझाव देने पर कहा है कि “ यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।”

17. पी०डब्लू-2 के रूप में सुरेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि “घटना दिनांक 08.11.2000 शाम 04:00 की है। पंचायत

भवन गंगहरा कला पर ग्राम सभा द्वारा किये गये कार्यों की जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी अन्य कर्मचारियों के साथ आये हुए थे। पूर्व प्रधान पति अवनीन्द्र दूबे को भी उन्होंने बुलवाया था, जो आज हाजिर अदालत हैं। अवनीन्द्र साईकिल से आये थे। उनके आने के पहले वहां पर मुल्जिमान जगदीश प्रसाद, शिवबहाल, पंचदेव, पंकज व जयप्रकाश आ गये थे। अवनीन्द्र के पहुंचने पर उनके व अन्य पाचों मुल्जिमान के बीच विवाद हो गया। जगदीश के हाथ में क्या था, यह मैं नहीं देख पाया। बाकी सभी लोग हाथ में लाठी-डण्डा लिये हुए थे। जगदीश ने ललकारा तो बाकी सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डा, लात-मुक्के से अवनीन्द्र को मारने पीटने लगे। जिससे अवनीन्द्र को काफी चोट आयी। वह गिरकर बेहोश हो गये, फिर उठे। हमने जांच टीम के लोगों ने शिवशंकर चौबे ने बीचबचाव किया, तब जाकर अवनीन्द्र की जान बची। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए गये। हम लोग अवनीन्द्र को लेकर चौकी लहंगपुर गये। वहां से थाना लालगंज गये। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। मैंने उन्हें सारी बात बता दिया था। मैंने अपनी आंख से मुल्जिमान को अवनीन्द्र को मारते हुए देखा था।”

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने इस साक्षी ने कथन किया है कि “पंचायत भवन के पश्चिम मेरा खेत है, जो लगभग 100 मीटर दूर है। मेरा चक 3.5 बीघे का है। सड़क पर मेरे खेत की लम्बाई लगभग 150 मीटर है। ऊपर जो मैंने पंचायत भवन से अपने चक की दूरी बतायी है वह मेरे चक का पूर्वी छोर है। मेरे खेत की जोताई हो रही थी, वही देखने गया था। मैं खेत के अन्दर जाकर जोताई देख रहा था। जिस खेत की जोताई हो रही थी, वह मध्य में नहीं बल्कि कुछ पूर्वी कोने पर हो रही थी। शिवबहाल के खेत में अरहर की फसल नहीं थी। शिवबहाल का चक मेरे चक के पूरब तरफ है।” आगे कहा है कि “पंचायत भवन पर घटना के समय कोई नहीं था। घटना के बाद सभी लोग आये। घटना के बाद कितने लोग आये, मैं नहीं बता सकता। दो आदमी आये कि चार आदमी आये कि 50 आदमी आये, मैं कुछ नहीं बता सकता। पंचायत भवन पर अवनीन्द्र (वादी) अकेले गये। मुझे लिवाकर नहीं गये थे। पंचायत भवन पर मैं पहले से ही पहुंच गया था। अवनीन्द्र मेरे पहुंचने के बाद आये थे। अवनीन्द्र साईकिल से आये थे। अवनीन्द्र के पंचायत भवन पहुंचते ही इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और मुल्जिमान उन्हें मारने लगे। अवनीन्द्र जब साईकिल खड़ी किये, कुछ बातचीत हुई तब मुल्जिमान उन्हें मारने लगे। जब मार पडी तो अवनीन्द्र मौके पर जमीन पर गिर पड़े, मैं नहीं देख पाया कि मुंह के बल गिरे हैं या कैसे हैं। आगे कहा है कि “सब मुल्जिमान एक साथ लाठी से मार रहे थे। कितनी-कितनी लाठी मारे थे, मैं अन्दाजन नहीं बता सकता। मुल्जिमान मार रहे थे, एक-एक लाठी मारे या अधिक लाठी मारे, मैं नहीं बता सकता। मुल्जिमानों की लाठियां शरीर पर चारों तरफ पड़ रही थी। अवनीन्द्र के शरीर पर चारों तरफ चोटें आयी थी। अवनीन्द्र मारपीट के बाद मेरे साथ लहंगपुर गये थे। मोटरसाईकिल से मैं ले गया था। मैं मोटरसाईकिल चला रहा था, अवनीन्द्र पीछे बैठे थे। हम लोग जब लहंगपुर चौकी पर पहुंच गये थे तो 10 मिनट बाद खबर सुनकर राकेश कुमार लहंगपुर में ही मौजूद थे। वे भी आ गये। झगड़ा के तुरन्त बाद हम लोग लहंगपुर के लिए गये थे। जब मोटरसाईकिल से ले गये थे, तब अवनीन्द्र होश में थे। दरखास्त (तहरीर) पुलिस चौकी लहंगपुर में लिखी गयी थी। रपट लालगंज थाने में हुई थी। शिवबहाल के बदन पर मैंने कोई चोट नहीं देखी थी। मेरे सामने अवनीन्द्र ने शिवबहाल को नहीं मारा था।” सुझाव देने पर कहा है कि “यह कहना गलत है कि न मेरे सामने कोई घटना हुई, न मैंने कोई घटना देखा है, न मैं घटनास्थल पर मौजूद था।”

18. पी0डब्लू-3 के रूप में डा0 एस0डी0 मिश्रा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा है कि “दिनांक 08.11.2000 को मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफीसर के रूप में जिला चिकित्सालय मीरजापुर में तैनात था। उस दिन 08:45 पी0एम0 पर श्री अवनीन्द्र कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र रामदास, निवासी गंगहरा कला, थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर का डाक्टरी परीक्षण किया था। उनको सी0पी0एन095 सुदामा यादव, थाना लालगंज, मीरजापुर मेरे पास लाये थे। उनके बदन पर निम्न चोटें पायी गयी थी।

चोट नं0-1 निलगू निशान के साथ सूजन 08 से0मी0 X 05 से0मी0 सिर के व माथा के दाहिनी तरफ मौजूद था।

चोट नं0-2 निलगू निशान के साथ सूजन 10 से0मी0 X 04 से0मी0 चेहरे के दाहिनी तरफ दाहिनी आंख के ऊपर एवं निचली पलक को लेते हुए लाल रंग के साथ मौजूद था।

चोट नं0-3 निलगू निशान के साथ सूजन 03 से0मी0 X 1.5 से0मी0 ऊपरी ओंठ पर ज्यादातर दाहिनी तरफ और थोड़ा सा बायीं तरफ मौजूद था, लाल रंग मौजूद था।

चोट नं0-4 चोटहिल सूजन 03 से0मी0 X 02 से0मी0 दाहिने तरफ कान के पीछे Mastoid process..पर मौजूद था। घाव को निगरानी में रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी थी और ई0एन0टी0 सर्जन को रेफर किया गया था।

चोट नं0-5 खरास 1.5 से0मी0 X 0.5 से0मी0 बायें तरफ कान के ऊपरी भाग में हल्के रक्तश्राव के साथ मौजूद था।

चोट नं0-6 खरास 01 से0मी0 X 0.5 से0मी0 चेहरे पर बायीं तरफ कान से 03 से0मी0 सामने की ओर मौजूद था।

चोट नं0-7 खरास 01 से0मी0 X 01 से0मी0 दाहिनी कोहुनी के पीछे वाले भाग में मौजूद था।

चोट नं0-8 निलगू निशान 03 से0मी0 X 02 से0मी0 बायीं तरफ पीठ में ऊपर लाल रंग के साथ मौजूद था।

मेरी राय में सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थी। सिवाय चोट 04, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें कुन्दालय से आई थी। सभी चोटें ताजी थी। बरवक्त मेडिकल मुआयना मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था। जिस पर मजरूब का बायां अंगूठा निशानी एवं निशान पहचान अंकित है एवं सत्यापित है। मेडिकल रिपोर्ट कागज सं0-3अ/7 है, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया है। मैंने पूरक रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मैंने चोट नं0-04 के लिए पूरक रिपोर्ट बनाया था, जो कागज संख्या-3क/11 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। पूरक परीक्षा अस्थिमज्जा रिपोर्ट एक्सरे प्लेट नं0 4596 दिनांकित 02.11.2000 को देखकर मैंने चोट की प्रकृति गम्भीर चोट बनाया है। यह रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में दिनांक 16.11.2000 को तैयार किया गया था। इसके विषय में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था कि नहीं स्मरण नहीं है। यह चोट दिनांक 08.11.2000 को शाम चार बजे की हो सकती है।”

अभियुक्तगण की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि “मैस्ट्राइट कान के पीछे जो हड्डी वाला पोर्सन होता है। इस मुकदमे के चोटहिल अमरेन्द्र कुमार हैं, जिसे थाना लालगंज के सिपाही ले आये थे। गवाह ने कागज

संख्या-3अ/7 देखकर कहा कि चिट्ठी मजरूबी में मजरूब का नाम अवनीश कुमार दूबे अंकित है। चिट्ठी मजरूबी में मजरूब के शरीर पर चार चोट आना अंकित है। चिट्ठी मजरूबी में कान के पीछे किसी भी चोट का आना अंकित नहीं है। प्रदर्श क-4 में मैंने मजरूब का अंगूठा निशान लगाकर तस्दीक किया है। परन्तु मजरूब का नाम नहीं लिखा है। मजरूब की केवल चोट नं0-4 को छोड़कर साधारण थी। बाकी चोटों से मेरा अभिप्राय यह है कि चोटें चिकित्सीय परीक्षण करने से 06 घण्टे से 01 मिनट तक हो सकती है। धक्का मुक्की द्वारा कोई व्यक्ति पटिया के फर्स पर गिर जाय तो ये सभी चोटें एक साथ आना सम्भव है। अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी अंग में फ्रैक्चर पाया जाय अथवा डिब्लेकिशन हो जाय तो ये गम्भीर प्रकृति की चोट मानी जाती है। जिस समय मैंने अवनीश कुमार का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया था, उस समय वह पूरे होश हवास में था। वह स्वयं चलकर आया था। मुझे इस समय याद नहीं है कि पूरक परीक्षण रिपोर्ट बनवाने के लिए मेरे पास मजरूब स्वयं आया था या पुलिस लायी थी। यह कहना गलत है कि मैंने नाजायज पारितोषिक लेकर गलत आख्या दी और गलत पूरक रिपोर्ट तैयार किया।”

19. अभियोजन पक्ष द्वारा पी0डब्लू-4 डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि “दिनांक 09.11.2000 को मैं जिला चिकित्सालय मीरजापुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने अवनीन्द्र कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र रामदास, निवासी गंगहरा कला, थाना लालगंज, मीरजापुर के राइट मेस्टर्ड हड्डी का एक्सरे किया, जो कि मेरे पास ई0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय मीरजापुर के माध्यम से भेजा गया था। उनके शरीर पर पहचान के निशान के लिए सीने पर बायीं तरफ एक काला तिल था। एक्सरे प्लेट नं0 4596 दिनांक 09.11.2000 के अनुसार राइट मेस्टर्ड हड्डी टूटी व गली हुई पायी गयी थी। एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तथा मजरूब का अंगूठा निशान लगवाया व प्रमाणित किया जो शामिल पत्रावली प्रपत्र संख्या-3अ/9 है, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया है।”

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि “मुझे याद नहीं है कि एक्सरे करवाते समय मजरूब मेरे पास चिकित्सक का स्लिप लेकर आया था अथवा मेडिकोलीगल रिपोर्ट लेकर आया था। मैंने चिकित्सक द्वारा अंकित चोटों में से जिस चोट का एक्सरे किया था। **Lytlelesian** का मतलब गला हुआ होता है। हड्डी में गलन कितने दिन बाद होता है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने मजरूब से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार किया है।”

20. पी0डब्लू-5 के रूप में **जगनरायन राय** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि “दिनांक 08.11.2000 को चौकी इंचार्ज लहंगपुर थाना लालगंज में तैनात था। मुझ एस0आई0 को मुकदमा अपराध संख्या-294/2000 धारा-147, 148, 323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0 की विवेचना करने के लिए दिया गया, जिसमें दिनांक 08.11.2000 को पर्चा नं0-1 कित्ता किया। जिसे नकल चिक, नकल रपट व कायमी मुकदमा नकल किया गया तथा दिनांक 09.11.2000 को पर्चा नं0-2 कित्ता किया गया। जिसमें बयान वादी अवनीन्द्र कुमार दूबे (मजरूब) का बयान जिला अस्पताल

सर्जिकल वार्ड में लिया गया तथा गवाह शिवशंकर चौबे व सुरेन्द्र पुत्र राजराम दूबे का बयान अंकित किया गया तथा गवाहों के निशानदेही पर उसी दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जो मौके पर जाकर नक्शानजरी तैयार किया, जो शामिल पत्रावली प्रपत्र सं०-3अ/6 है, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया तथा दिनांक 11.11.2000 को पर्चा नं०-3 किता किया गया। जिसमें तहरीर लेखक राजकुमार दूबे पुत्र भगवती प्रसाद दूबे, निवासी गंगहरा कला, थाना लालगंज का बयान अंकित किया गया तथा दिनांक 13.11.2000 को पर्चा नं०-4 किता किया गया, जिसमें मुल्जिमानों की खोजबीन तथा सुरागसी किया गया। दिनांक 14.11.2000 को पर्चा नं०-5 किता किया गया, जिसमें एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट के आधार पर धारा-308 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 17.11.2000 को पर्चा नं०-6 किता किया गया। जिसमें पूरक सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट मजरुब अवनीन्द्र कुमार दूबे का प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 20.11.2000 को पर्चा नं०-7 किता किया गया, जिसमें बी०डी०ओ० लालगंज का बयान लेने हेतु गये, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। दिनांक 16.11.2000 को पर्चा नं०-8 किता किया गया तथा दिनांक 27.11.2000 को पर्चा नं०-9 किता किया गया, जिसमें मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हेतु एन०बी०डब्लू० व 82/83 दं०प्र०सं० प्राप्त करने हेतु सी०जे०एम० न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.11.2000 को पर्चा नं०-10 किता किया गया, जिसमें माननीय सी०जे०एम० द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध एन०बी०डब्लू० प्राप्त हुआ। दिनांक 29.11.2000 को पर्चा नं०-11 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का तलाश किया गया। दिनांक 02.12.2000 को पर्चा नं०-12 किता किया गया। दिनांक 03.12.2000 को पर्चा नं०-13 किता किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की सूचना अंकित किया गया। दिनांक 05.12.2000 को पर्चा नं०-14 किता किया गया, जिसमें बयान मुल्जिम शिवबहाल, पंचदेव दूबे, जयप्रकाश दूबे तथा पंकज दूबे का बयान अंकित किया गया। दिनांक 06.12.2000 को पर्चा नं०-15 किता किया गया। जिसमें अभियुक्त जगदीश के हाजिरी की सूचना अंकित है। उसी दिन अभियुक्त जगदीश का बयान अंकित किया गया। दिनांक 08.12.2000 को पर्चा नं०-16 किता किया गया, जिसमें बी०डी०ओ० श्री रविन्द्र वीर एवं ए०डी०ओ० कैलाश नाथ पाठक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हौसला प्रसाद सिंह का बयान अंकित किया गया है। उसी दिन मुझ विवेचक को वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.11.2000 की छायाप्रति मुझ विवेचक को उपलब्ध कराया गया, जिसकी नकल करने के बाद केस डायरी में संलग्न किया गया तथा इसी दिन पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शिवबहाल, जगदीश दूबे, पंचदेव दूबे, पंकज कुमार, जयप्रकाश के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-17, 148, 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या-139/2000 आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या-3अ/1 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। प्रदर्श क-6 डाला गया।”

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि “साक्षी अवनीन्द्र कुमार दूबे ने मुझे यह बयान दिया था कि जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डा से एकराय होकर मारने पीटने लगे। अवनीन्द्र ने यह बयान नहीं दिया था कि जगदीश ने मुझे बन्दूक के कुन्दे से मारा था। मुझे नहीं मालूम कि इस घटना में शिवबहाल को भी चोटें आयी थी। क्योंकि अभियुक्त होने के कारण वे फरार

थे। मैंने यह पता करने की कोशिश नहीं कि मजरूब व वादी मुकदमा गांव के प्रधान थे अथवा नहीं थे। मारपीट की घटना हरिशंकर दूबे के खेत में हुआ था। पंचायत भवन पर नहीं हुआ था। यह ध्यान नहीं है कि हरिशंकर दूबे के खेत से मजरूब अवनीन्द्र का घर कितनी दूर, किस तरफ है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि शिवशंकर दूबे व सुरेन्द्र का मकान घटनास्थल से कितनी दूरी पर, किस तरफ है। नक्शानजरी में मैंने 'बी' स्थान दिखाया है, जहां से गवाहों ने घटना देखा व बीचबचाव किया। मैं नहीं बता सकता कि शिवबहाल का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 02.11.2000 को 10:15 बजे जिला चिकित्सालय मीरजापुर में हुआ। मैं यह भी नहीं बता सकता कि शिवबहाल का एक्सरे परीक्षण दिनांक 14.11.2000 को हुआ। यह कहना गलत है कि मैं शिवबहाल की मोटरसाईकिल घटना के पहले नाजायज तौर पर लेकर चला गया था। जिसके बावत अभियुक्त की तरफ से उच्चाधिकारियों को शिकायत की गयी थी। यह भी कहना गलत है कि मुकदमे में मैंने गलत तफ्तीश की और गलत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।"

21. अभियोजन द्वारा पी0डब्लू-6 **कैलाश नाथ पाठक सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि)** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "घटना के समय विकास खण्ड लालगंज ब्लाक पर तैनात था। घटना का दिनांक मुझे नहीं मालूम है। घटना के समय बी0डी0ओ0 रविन्द्र वीर सिंह यादव थे। मैं तथा श्री प्रमोद कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई, हौसला सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम गंगहरा कला भूतपूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जांच हेतु गये थे। रास्ते में लहंगपुर बाजार में श्री अवनीन्द्र कुमार दूबे निवासी गंगहरा कला को पंचायत भवन गंगहरा कला पर जांच के सम्बन्ध में उपस्थित होने के लिए बुला लिया गया था। वहां पर भूतपूर्व ग्राम प्रधान शिवबहाल दूबे पहुंचे थे। वे अकेले थे। जिसमें बी0डी0ओ0 गांव के विकास कार्य के विषय में पूछ रहे थे। इसी बीच शाम 04 बजे अवनीन्द्र कुमार दूबे भी वहां पहुंचे थे। मुझे पंचायत भवन के थोड़ी दूर पर जानकारी हुई थी कि मारपीट हुई थी। जब घटना के बारे में एक व्यक्ति द्वारा जानकारी हुई तो घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि पूर्व प्रधान व अवनीन्द्र दूबे घटनास्थल पर घायल मिले। मुझे ध्यान नहीं है लेकिन चेहरे पर चोटें आयी थी। जब घटना स्थल पर हम लोग पहुंचे तब एक मोटरसाईकिल आई और बैठाकर ले गये। यह घटना देखकर हम लोग भयभीत हो गये और बिना जांच किये चले गये। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि "पंचायत भवन के उत्तर 30-35 मीटर दूरी पर सडक के किनारे घटना घटी थी। मैं शिवबहाल, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश, पंकज कुमार को घटना के पहले से नहीं जानता था। अवनीन्द्र को भी घटना के पहले से नहीं जानते थे। इनके पिता का नाम नहीं जानते और कहा कि निवासी हैं, यह भी नहीं जानता। मैं किसी को बन्दूक लिए हुए नहीं देखा था। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचे तो दोनों पक्ष घायल अवस्था में थे। दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी थी। झगड़े की शुरुआत पहले किसने की मुझे नहीं मालूम। घटना के बावत हम लोगों ने जांच टीम ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया था। घटना में शामिल नामित अभियुक्तों को आज भी नहीं जानता पहचानता हूं। मुझे याद नहीं है कि दरोगा जी ने घटना के कितने दिन बाद बयान लिया था।"

22. अभियोजन द्वारा पी0डब्लू-7 अश्वनी कुमार पाण्डेय सेवानिवृत्त कां0 को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि “दिनांक 08.11.2000 को मैं थाना लालगंज पर सहायक लेखक के पद पर तैनात था। उसी दिन समय 18:35 पर लिखित तहरीर द्वारा अश्वनीन्द्र कुमार दूबे द्वारा बलिखित राकेश कुमार दूबे द्वारा प्राप्त हुई। जिस पर मैंने मु0अ0सं0-294/2000, अन्तर्गत धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना लालगंज की तहरीर लिखी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो वादी द्वारा दी गयी तहरीर की अक्षरशः नकल है। तहरीर चिक रपट पत्रावली में कागज संख्या-3अ/2 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, उस पर प्रदर्श क-7 डाला गया है। उसी दिन कायमी जी0डी0-35 मु0अ0सं0 294/2000, धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना लालगंज कायम किया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी कार्बन प्रति जो मूल से कार्बन प्रतिलिपि है। पत्रावली पर कागज संख्या-3अ/5 है, साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर को साबित किया, जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।”

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि “प्रदर्श क-8 जो इस मुकदमे के कायमी की जी0डी0 है, में किसी मजरूब के चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजने का कोई तस्करा नहीं है। इस मुकदमे के कायम होने के पहले व पश्चात् उस दिन थाने पर दस्तयाबी अथवा मैंने दस्तयाबी की रपट कब-कब हुई, मैं नहीं बता सकता। मुकदमे की मूल जी0डी0 नहीं लाया हूं। मुझे याद नहीं है कि मुल्जिमों की तरफ से कोई रपट हुई थी या नहीं, और इसी प्रकार मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे में नामजद मुल्जिमों में किसका-किसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि मुल्जिमों की तरफ से थाने पर तहरीर दी गयी थी, किन्तु राजनीतिज्ञ दबाव के कारण उनकी तहरीर लेने के पश्चात् भी रपट नहीं लिखी गयी।”

23. अभियोजन द्वारा निम्न विधिव्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया गया है:-

1. 2018 (102) एसीसी 191 (SUPREME COURT) ILLATHODY BEERAN Vs- STATE OF KERALA and another
2. 2014 (1)जे.आई.सी. 577 (इला) (एल.बी) राजा राम व अन्य बनाम सुरेश नरायन पाण्डेय

24. वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण ने दिनांक 08.11.2000 को समय करीब 4 बजे वादी मुकदमा अश्वनीन्द्र कुमार को लाठी डण्डे से मारकर सिर व चेहरे पर गम्भीर चोटें कारित की, जिसके आधार पर धारा-147, 148, 323/149, 504, 506 एवं 308/149 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया और विचारण किया गया।

25. फौजदारी मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि जैसे “भूसा से अनाज को अलग किया जाना।” माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था. Babu vs. State of Tamilnadu (2013)8 SCC 60. के मामले में कहा गया है कि Doctrin of Falsus in uno Falsus in omnibus is not applicable in India. It is only a rule of caution . One hardly comes across a witness whose evidence dose not contain a grain of untruth any exaggeration embroideries and embellishments. साक्षी द्वारा द्वारा किये गये

कथनों में एक बाद यदि झूठी भी हो तो इसके आधार पर उसके द्वारा कहे गये अन्य तथ्यों व सभी बातों को झूठा नहीं माना जा सकता।

अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अं० धारा-147, 148, 323/149, 504, 506 एवं 308/149 भा०दं०सं० के सन्दर्भ में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विवेचना एवं संवीक्षा की जानी है।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में पी०डब्लू-1 अवनीन्द्र कुमार पी०डब्लू-2 सुरेन्द्र, पी०डब्लू-6 कैलाश नाथ को परीक्षित कराया गया है।

27. अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम अवनीन्द्र कुमार दूबे वादी मुकदमा को पी०डब्लू-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशय कहा है कि "मैं इस मुकदमे का चोटहिल साक्षी हूँ। मैं मुकदमों के मुल्जिमान शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता पहचानता हूँ। ये सभी मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 08.11.2000 को समय करीब 04:00 बजे सायंकाल की है। उस दिन लालगंज खण्ड विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ गंगहरा कला, ग्राम पंचायत के पूर्व कार्यों की जांच के लिए पंचायत भवन पर आये थे। मुझे भी खण्ड विकास अधिकारी पंचायत भवन पर बुलवाये थे। उसी सिलसिले में मैं पंचायत भवन पर पहुंचने ही वाला था कि पंचायत भवन से 45 मीटर पूर्व सड़के के उत्तर साइड में एकाएक शिवबहाल, सतीश प्रसाद, पंचदेव, जयप्रकाश और पंकज मुझे आकर घेर लिए। जिसमें से जगदीश के हाथ में बंदूक थी तथा बकिया लोगों के हाथ में लाठी था। इसके बाद जगदीश ने ललकारा कि मारो साले को जान से। फिर सभी लोग एकराय होकर मुझे लाठी-डण्डे व बन्दूक के कुन्दे से मुझे मारना शुरू किया। मेरे शरीर में काफी चोटें आयी। मेरा सिर फट गया था और खून निकल रहा था। मौके पर शिवशंकर चौबे व सुरेन्द्र कुमार दूबे ने घटना देखा और आकर बीचबचाव किया। सभी मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए अपने-अपने औजार के साथ दक्षिण दिशा की ओर भाग गये।"

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने इस साक्षी ने कहा है कि "मेरे दोनों हाथों से लेकर शरीर में चोटें थी। हाथ सूज गये थे। मेरे पीठ पर चोटें थीं। पांचो मुल्जिमानों ने लाठी से मेरे पीठ पर मारा था। लाठी तान-तान कर मारे थे। मैं गिनती नहीं कर पाया, लेकिन प्रत्येक मुल्जिमानों ने एक से अधिक लाठियां मेरे पीठ पर मारी थी। सबके शाट उभर आये थे। पीठ पर सूजन भी आ गयी थी। डाक्टरी मुआयना करते समय मैंने उन सभी चोटों को दिखा दिया था। मेरे पूरे पीठ पर गर्दन से लेकर कमर तक चोटें थी। तहरीर मैंने होशोहवास में बोलकर लिखवाया था। तहरीर में इस बात को लिखवा दिया था कि जगदीश ने मुझे कुन्दा से मारा था। जगदीश ने कुन्दे से मेरे सिर पर प्रहार किया था। मस्तक पर प्रहार किया था।" आगे कहा है कि "मैंने दरोगा जी से यह बयान दे दिया था कि जगदीश ने मुझे बन्दूक के कुन्दे से मारा था।"

इस प्रकार पी०डब्लू-1 की साक्ष्य की विश्वसनीयता को देखा जाये तो इस गवाह ने घटना में अपने को लाठी डण्डे एवं बन्दूक के कुन्दे से मारने का कथन किया है। गवाह को आयी चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है। जैसाकि पी०डब्लू-3 डा० एस०डी० मिश्रा ने अपने बयान में पी०डब्लू-1 को आठ चोटें तथा यह चोटें किसी कुन्दालय से आना बताया है, जिसकी अवधि ताजी थी। चोट नं०-4 के लिए एक्सरे

कराने की सलाह दी गयी और एक्सरे में फ्रैक्चर पाया गया। इस साक्षी के समग्र बयान का मूल्यांकन किया जाये तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह साक्षी स्वयं घटना में चुटहैल रहा है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। यह घटना का विश्वसनीय साक्षी है तथा अपने बयान में मारपीट के तथ्य को साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे इसके बयान को अविश्वसनीय माना जाए।

28. पी0डब्लू-2 के रूप में सुरेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "घटना दिनांक 08.11.2000 शाम 04:00 की है। पंचायत भवन गंगहरा कला पर ग्राम सभा द्वारा किये गये कार्यों की जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी अन्य कर्मचारियों के साथ आये हुए थे। पूर्व प्रधानपति अवनीन्द्र दूबे को भी उन्होंने बुलवाया था, जो आज हाजिर अदालत हैं। अवनीन्द्र साईकिल से आये थे। उनके आने के पहले वहां पर मुल्जिमान जगदीश प्रसाद, शिवबहाल, पंचदेव, पंकज व जयप्रकाश आ गये थे। अवनीन्द्र के पहुंचने पर उनके व अन्य पाचों मुल्जिमान के बीच विवाद हो गया। जगदीश के हाथ में क्या था, यह मैं नहीं देख पाया। बाकी सभी लोग हाथ में लाठी-डण्डा लिये हुए थे। जगदीश ने ललकारा तो बाकी सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डा, लात-मुक्के से अवनीन्द्र को मारने पीटने लगे। जिससे अवनीन्द्र को काफी चोट आयी। वह गिरकर बेहोश हो गये, फिर उठे। हमने जांच टीम के लोगों ने शिवशंकर चौबे ने बीचबचाव किया, तब जाकर अवनीन्द्र की जान बची। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए गये।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर कहा है कि "पंचायत भवन पर मैं पहले से ही पहुंच गया था। अवनीन्द्र मेरे पहुंचने के बाद आये थे। अवनीन्द्र साईकिल से आये थे। अवनीन्द्र के पंचायत भवन पहुंचते ही इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और मुल्जिमान उन्हें मारने लगे। अवनीन्द्र जब साईकिल खड़ी किये, कुछ बातचीत हुई तब मुल्जिमान उन्हें मारने लगे। जब मार पडत्री तो अवनीन्द्र मौके पर जमीन पर गिर पड़े, मैं नहीं देख पाया कि मुंह के बल गिरे हैं या कैसे हैं। जिस जमीन पर गिरे थे, वह सड़क के किनारे खेत में गिरे थे। पंचायत भवन पक्की सड़क से उतनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर इस न्यायालय के बाहर जो बरामदा का खम्भा है। इस समय मैं न्यायालय के उत्तरी किनारे से बयान दे रहा हूं। सब मुल्जिमान एक साथ लाठी से मार रहे थे। कितनी-कितनी लाठी मारे थे, मैं अन्दाजन नहीं बता सकता। मुल्जिमान मार रहे थे, एक-एक लाठी मारे या अधिक लाठी मारे, मैं नहीं बता सकता। मुल्जिमानों की लाठियां शरीर पर चारों तरफ पड़ रही थी। अवनीन्द्र के शरीर पर चारों तरफ चोटें आयी थी। अवनीन्द्र मारपीट के बाद मेरे साथ लहंगपुर गये थे।"

इस साक्षी के समग्र बयान का मूल्यांकन किया जाये तो यह साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपने सशपथ बयान में घटना का समर्थन किया है। इसने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार को लाठी डण्डे से मारने का कथन किया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है, जिससे बचाव पक्ष को कोई लाभ हो।

29. अभियोजन द्वारा साक्षी पी0डब्लू-6 कैलाश नाथ पाठक सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "घटना के समय विकास खण्ड लालगंज ब्लाक पर तैनात था। घटना का दिनांक मुझे नहीं मालूम है। घटना के समय बी0डी0ओ0 रविन्द्र वीर सिंह यादव थे। मैं तथा श्री प्रमोद कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई, हौसला सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम गंगहरा कला भूतपूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जांच हेतु गये थे। रास्ते में लहंगपुर बाजार में श्री अवनीन्द्र कुमार दूबे निवासी गंगहरा कला को पंचायत भवन गंगहरा कला पर जांच के सम्बन्ध में उपस्थित होने के लिए बुला लिया गया था। वहां पर भूतपूर्व ग्राम प्रधान शिवबहाल दूबे पहुंचे थे। वे अकेले थे। जिसमें बी0डी0ओ0 गांव के विकास कार्य के विषय में पूछ रहे थे। इसी बीच शाम 04 बजे अवनीन्द्र कुमार दूबे भी वहां पहुंचे थे। मुझे पंचायत भवन के थोड़ी दूर पर जानकारी हुई थी कि मारपीट हुई थी। जब घटना के बारे में एक व्यक्ति द्वारा जानकारी हुई तो घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि पूर्व प्रधान व अवनीन्द्र दूबे घटनास्थल पर घायल मिले। मुझे ध्यान नहीं है लेकिन चेहरे पर चोटें आयी थी।"

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि 'जब मैं घटनास्थल पर पहुंचे तो दोनों पक्ष घायल अवस्था में थे। दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी थी। झगड़े की शुरुआत पहले किसने की मुझे नहीं मालूम।"

इस साक्षी के साक्ष्य को देखा जाय तो इसके द्वारा जानकारी होने पर घटनास्थल पर जाने एवं वादी मुकदमा को घायल अवस्था में देखे जाने का कथन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी जिरह की गई है, किन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे बचाव पक्ष को कोई लाभ हो सके।

30. अभियोजन द्वारा उपरोक्त सभी तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी साक्षीगण ने घटना से सम्बद्ध घटनाकाल, घटना के स्थान, घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण का नाम, उनकी पहचान उनके द्वारा अपराध कारित करने हेतु अपनायी गयी प्रहार की रीति तथा इस्तेमाल किये गये हथियारों एवं घटना के उपरान्त घटे घटनाक्रम का विस्तृत तथा विश्वसनीय चित्रण अपने साक्ष्य में किया है। ऐसे में उनका साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने हेतु पूर्णरूप से प्रासंगिक एवं ग्राह्य है।

31. उपरोक्त तर्क का घोर विरोध करते हुए अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि रंजिश के कारण घटना में नामित करते हुए रिपोर्ट लिखायी गयी है। अभियोजन साक्ष्य चिकित्सीय प्रपत्र का समर्थन नहीं कर रहा, बयान में विरोधाभाष है, हेतुक सिद्ध नहीं है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न आधारों पर तर्क देते हुए अभियोजन कथानक स्थापित नहीं होना कहा गया है।

32. इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम तर्क यह दिया गया है कि अभियुक्तगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है तथा वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा नामजद किया गया है।

उपरोक्त तर्क के प्ररिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो प्रस्तुत मामले में साक्षी पी0डब्लू-1 अवनीन्द्र कुमार वादी मुकदमा एवं चोटहिल साक्षी है तथा उसके द्वारा घटना का अक्षरश

: वर्णन किया गया है। पी0डब्लू-2 चक्षुदर्शी साक्षी है, इसके द्वारा भी अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे इन साक्षीगण के बयान पर अविश्वास किया जाये। पी0डब्लू-1 अवनीन्द्र कुमार दूबे जो कि कथित प्रकरण में चुटहैल एवं महत्वपूर्ण साक्षी है। उसके द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। इस साक्षी को कारित चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सीय रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, व प्रदर्श क-4, पत्रावली पर दाखिल है।

जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2009 VOL-9 एस0सी0सी0 719 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “घायल साक्षियों का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि अपराध कारित होने और उस स्थान पर अपनी उपस्थिति की गारण्टी के साथ न्यायालय में आते हैं और वह अपने सही मारने वालों को छोड़कर गलत व्यक्ति पर दोषारोपण कभी नहीं करते।”

कृष्णा बनाम हरियाणा राज्य 2006 VOL-12 एस0सी0सी0 459 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “घायल साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय करार देने के लिए बहुत विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है।”

प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर में यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए वादी मुकदमा ने कहा है कि ‘दिनांक 08.11.2000 को शाम करीब 04:00 बजे खण्ड विकास अधिकारी लालगंज व उनके कर्मचारी ग्राम सभा गंगहरा कला के पूर्व कार्यों की जांच हेतु पंचायत भवन पर आये थे तथा प्रार्थी को भी बुलवाये। प्रार्थी कस्बा लहंगपुर में था। साईकिल से पंचायत भवन गंगहरा कला पहुंचा कि शिवबहाल पुत्र मंहगी लाल, जगदीश दूबे पुत्र काशी प्रसाद, पंचदेव पुत्र जगदीश, जयप्रकाश पुत्र मंहगी लाल व पंकज पुत्र अमरनाथ, निवासी गंगहरा कला लाठी-डण्डा से लैस थे तथा जगदीश के हाथ में बंदूक थी। जगदीश के ललकारने पर अन्य सभी मुल्जिमान लाठी-डण्डे से मारने पीटने लगे। प्रार्थी बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रार्थी के सिर और चेहरे पर काफी चोटें आयी हैं।”

इस प्रकार अभियोजन तथ्यों में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा अवनीन्द्र दूबे को लाठी डण्डे से मारने पीटने पर गम्भीर चोट लगने का तथ्य आया है।

बचाव पक्ष द्वारा कहा गया है कि अभियुक्तगण को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, किन्तु ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उन्हें रंजिशन झूठा आरोपित किया गया है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाये तो एफ0आई0आर0 नामजद करायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अवनीन्द्र कुमार दूबे को गम्भीर चोटें आयीं हैं अर्थात् जब अपराध एक सच्चाई है।

घटना का घटित होना एवं सिर एवं शरीर पर गमीर चोटें होने का तथ्य सिद्ध है, तब बचाव पक्ष के उक्त तर्कों में यह सामान्य समक्ष से परे है कि मात्र रंजिशन के कारण वादी मुकदमा वास्तविक अभियुक्त को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को क्यों फंसायेगा। बचाव पक्ष द्वारा अपने इस तर्क को बल देने के लिए ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके इस तर्क को उनके पक्ष में निष्कर्ष का आधार बनाया जा सके।

‘राम मोहन बनाम उ0प्र0 राज्य’ 2014 (86) ए0सी0सी0 404, जिसमें कहा गया है कि “Where deceased died on the spot, F.I.R. promptly lodged containing details of the incident, names of the accused, weapon used motive, mode, manner and result of assault. Possibility of concoction, fabrication, manipulation and afterthought is ruled out.”

अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न निर्णयज विधियों का उल्लेख करना उचित होगा।

1. **विजयशंकर सिंधे बनाम महाराष्ट्र AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 1198**

2. **मौहम्मद मियां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 397**

उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पीड़ित पक्ष कभी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए वास्तविक अपराधी को दण्ड से बचाने में सहायता नहीं करेगा।

रंजिश एक दुधारी तलवार है जो आक्रमण का हथियार भी हो सकती है तथा फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाने का कारण भी हो सकती है। यदि यह मान भी लिया जाये कि वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य रंजिशन विद्यमान हैं, लेकिन केवल पक्षकारों में रंजिश होने के आधार पर अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, यदि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति साबित है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू-1, पी0डब्लू-2, की उपस्थिति साबित है।

धारा एवं अन्य बनाम यू.पी. AIR 2013 SC 308 एवं धर्मवीर बनाम उ0प्र0 AIR 2010 SC 1378 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "अभियुक्त की गवाह से शत्रुता होने के आधार पर उसकी साक्ष्य को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि साक्षी का बयान विश्वसनीय है तो उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यह भी कहा है कि जहां पर पक्षकारों में रंजिश विद्यमान है, वहां पर साक्षीगण के बयानों का ज्यादा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

इस मामले में सभी साक्षीगण द्वारा सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी ऐसी कोई तात्विक विसंगति या विरोधाभास नहीं है, जिससे इनके कथनों पर विश्वास न किया जा सके। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

33. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि इस प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट रूप से क्या भूमिका रही है, साक्षियों द्वारा इस सम्बन्ध में बयान नहीं दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी हैं। ऐसी स्थिति में किस अभियुक्त की क्या विशेष भूमिका रही है तथा किसने, कितनी चोटें पहुंचाई, इसके बावत विशिष्टतः कथन की अपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही इससे अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हथियार एवं लाठी डण्डे से लैस होकर हमला एवं मारपीट के केस में यह तथ्य महत्वहीन हो जाता है कि किसने, किस हथियार से कितनी चोट पहुंचाई, किन्तु गवाहों के साक्ष्य से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा, बन्दूक आदि से लैस होकर चोटें पहुंचाई गयी हैं। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क खण्डित किया जाता है।

34. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि घटना का हेतुक साबित नहीं है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय तो तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि अभियोजन द्वारा हेतुक नहीं सिद्ध किया गया है, तो भी अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,

क्योंकि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है, वहां हेतुक की अनिवार्यता नहीं है। यह सही है कि आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि में कोई न कोई वाद हेतुक छिपे तौर पर या खुले तौर पर अवश्य होता है, लेकिन हेतुक का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

1. गोपीराम बनाम उ०प्र० राज्य 2006 (55) ए०सी०सी० P 673 सुप्रीम कोर्ट
2. उ०प्र० राज्य बनाम नवाब सिंह 2005 ए०सी०सी० (क्रि०) 33
3. राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह ए०आई०आर० 2011 ए०सी०सी० 3380

उपरोक्त न्याय निर्णयों में यही मत प्रकट किया गया है कि जहां चक्षुदर्शी साक्षियों की प्रत्यक्ष साक्ष्य है, वहां उद्देश्य के अपर्याप्त होने से कोई प्रभाव वाद पर नहीं पड़ता है। अतः बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

35. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त जयप्रकाश दूबे, पंकज दूबे और पंचदेव दूबे के सम्बन्ध में अन्यत्र होने के अभिवाक् का तर्क देते हुए कहा गया है कि अभियुक्त जयप्रकाश दूबे, पंकज दूबे और पंचदेव दूबे घटना के समय मौके पर नहीं थे झूठा फंसाया गया है। इस सम्बन्ध में सूची 252ख/1 से कागज सं० 252ख/11, लगायत 252ख/16 प्रस्तुत की गयी है। इनके द्वारा पहली बार न्यायालय को यह तथ्य बताया जा रहा है। इन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में कोई सूचना/प्रार्थनापत्र आदि इस तथ्य के सम्बन्ध में नहीं दिया है। दिनांक 14.9.2021 को अंकित बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० के स्तर पर क्या आपको और कुछ कहना है, में इनके द्वारा अन्यत्र होने के तथ्य का अभिवाक् किया गया।

अभियुक्तगण जयप्रकाश दूबे, पंकज दूबे और पंचदेव दूबे की ओर से घटना के समय मौके पर न रहने के सम्बन्ध में मात्र शैक्षिक प्रपत्र कागज सं० 252ख/11, लगायत 252ख/16 प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर इन अभियुक्तगण का घटना के समय मौके पर न होना इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय नहीं है, विशेषकर जब मामला सटीक चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित हो। पी०डब्लू-1व पी०डब्लू० 2 द्वारा घटनास्थल पर इन अभियुक्तगण को सकारात्मक रूप से मौजूद होना, अपने हाथ में लिये लाठी डण्डे से वादी मुकदमा को मारना पीटना कहा गया है और अभियोजन कथानक को साबित किया गया है। अतः अब अभियुक्तगण पर यह निर्भर करता है कि वह आत्यान्तिक निश्चितता के साथ यह साबित करे कि प्रश्नगत घटना के समय घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति की सम्भावना पूर्ण रूप से अपवर्जित थी तथा वह घटनास्थल से इतनी दूर थे कि प्रश्नगत घटना में उनकी संलिप्तता असम्भव है।

“Plea of alibi should be subjected to strict proof of evidence and cannot be allowed lightly. It is to be established by the accused by leading positive evidence. As was held in case of ‘**Om Prakash Vs. State of Rajasthan and another**’ (2012) 5 SCC 201.”

अभियुक्तगण जयप्रकाश दूबे, पंकज दूबे और पंचदेव दूबे के द्वारा इस मामले में घटना के समय स्वयं के घटनास्थल पर मौजूद न होने के सम्बन्ध में कोई भी सकारात्मक एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षीगण से जिरह किये जाने पर इस सम्बन्ध में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जायेगा कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर ही मौजूद थे और उनके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने हाथ में लिये लाठी

डण्डे से वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे को मारपीटकर गम्भीर चोटें पहुंचायी। इस प्रकार अभियुक्तगण जयप्रकाश दूबे, पंकज दूबे और पंचदेव दूबे Plea of Alibi को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता का इस बिन्दु पर तर्क निराधार एवं बलहीन है।

36. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि साक्षीगण के बयान में विरोधाभास है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो पी0डब्लू0-1 जो चोटहिल एवं वादी मुकदमा है, इसने घटना का अक्षरशः वर्णन किया है तथा पी0डब्लू0-2 जो चक्षुदर्शी साक्षी है, इसने भी पी0डब्लू0-1 के कथन का समर्थन करते हुए इस मामले की घटना को उसी प्रकार वर्णित किया है, जिस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0-1 द्वारा किया गया है। साक्षी पी0डब्लू0-3 के बयान से भी घटना होने का तथ्य साबित है। इस मामले में छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़कर साक्षीगण द्वारा घटना को साबित किया गया है। पी0डब्लू0-1 एवं पी0डब्लू0-2 ने मामले के पॉचों अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को ठीक प्रकार से पहचाना है। गवाहों के बयानों में समय बीत जाने के पश्चात् छोटी मोटी विसंगतियाँ होना स्वाभाविक है, जो सत्यता की गारंटी भी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना घटित होने एवं न्यायालय में बयान अंकित होने के मध्य लगभग 14-15 वर्ष का लम्बा अन्तराल है अतः घटना घटित होने के बाद यह आशा नहीं की जा सकती है कि साक्षी घटना से सम्बन्धित एक एक तथ्य बारीकी के साथ लम्बे समय के उपरान्त भी याद रखेंगे। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की स्मृति से समय के साथ-साथ तथ्य भी विस्मृत हो जाते हैं। उक्त स्थिति में सम्भव है कि साक्षीगण को घटना के सम्बन्ध में कुछ तथ्य विस्मृत हो गये हों। अतः कुछ साधारण विरोधाभास एवं असंगति आना सम्भव है।

इस प्रकार की विधि व्यवस्था **भारत बनाम स्टेट इलाहाबाद ला किमिलन 1983 पृष्ठ 160**, तथा **कुंवर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1993 इलाहाबाद दण्ड निर्णय पृष्ठ 720** में प्रतिपादित है।

भंवर सिंह बनाम एम.पी. AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 768 में अवधारित किया गया है कि “यदि गवाहों के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास है, तो उससे अभियोजन कथानक प्रभावित नहीं होता है।”

प्रस्तुत मामले में साक्षीगण की जिरह में कोई ऐसी तात्त्विक असंगति या विरोधाभास नहीं आया है, जोकि सारवान माना जा सके और साक्षीगण के बयान की स्वाभाविकता एवं सत्यता को प्रभावित करता हो।

37. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि अभियोजन साक्ष्य चिकित्सीय रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पी0डब्लू0-4 ने अपने बयान में कहा है कि “राइट मेस्टर्ड हड्डी टूटी व गली हुयी पायी गयी थी।” अर्थात् हड्डी में गलन अन्य किसी कारणवश पूर्व से रहा है। यह तथ्य अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता है।

इस प्रकरण में पी0डब्लू0-3 डा0 एस0डी0 मिश्रा एवं पी0डब्लू0-4 डा0 अशोक कुमार मिश्रा को चिकित्सक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी0डब्लू0-3 ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-2 एवं पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को साबित किया है तथा अपने बयान में चोटहिल के शरीर पर आये निम्न चोटों का उल्लेख किया है:-

चोट नं०-1 निलगू निशान के साथ सूजन 08 से०मी० X 05 से०मी० सिर के व माथा के दाहिनी तरफ मौजूद था।

चोट नं०-2 निलगू निशान के साथ सूजन 10 से०मी० X 04 से०मी० चेहरे के दाहिनी तरफ दाहिनी आंख के ऊपर एवं निचली पलक को लेते हुए लाल रंग के साथ मौजूद था।

चोट नं०-3 निलगू निशान के साथ सूजन 03 से०मी० X 1.5 से०मी० ऊपरी ओंठ पर ज्यादातर दाहिनी तरफ और थोड़ा सा बायीं तरफ मौजूद था, लाल रंग मौजूद था।

चोट नं०-4 चोटहिल सूजन 03 से०मी० X 02 से०मी० दाहिने तरफ कान के पीछे Mastoid process..पर मौजूद था। घाव को निगरानी में रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी थी और ई०एन०टी० सर्जन को रेफर किया गया था।

चोट नं०-5 खरास 1.5 से०मी० X 0.5 से०मी० बायें तरफ कान के ऊपरी भाग में हल्के रक्तश्राव के साथ मौजूद था।

चोट नं०-6 खरास 01 से०मी० X 0.5 से०मी० चेहरे पर बायीं तरफ कान से 03 से०मी० साने की ओर मौजूद था।

चोट नं०-7 खरास 01 से०मी० X 01 से०मी० दाहिनी केहुनी के पीछे वाले भाग में मौजूद था।

चोट नं०-8 निलगू निशान 03 से०मी० X 02 से०मी० बायीं तरफ पीठ में ऊपर लाल रंग के साथ मौजूद था।

मेरी राय में सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थी। सिवाय चोट 04, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी। सभी चोटें कुन्दालय से आई थी। सभी चोटें ताजी थी।

पी०डब्लू-4 डॉ० अशोक कुमार मिश्रा ने एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4 को साबित किया है तथा अपने बयान में कहा है कि "एक्सरे प्लेट नं० 4596 दिनांक 09.11.2000 के अनुसार राइट मेस्टर्ड हड्डी टूटी व गली हुई पायी गयी थी।"

इस प्रकार चिकित्सीय प्रपत्रों से यह तथ्य सिद्ध है कि इस मारपीट घटना में चोटहिल अवनीन्द्र कुमार की राइट मेस्टर्ड हड्डी टूटी हुयी पायी गयी है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है तथा चिकित्सीय प्रपत्रों को प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3 व प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया गया है। अतः इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल नहीं है।

38. प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा को गम्भीर चोटें आयीं है। पत्रावली पर चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-2 लगायत प्रदर्श क-4 में घटना में आयी चोटों का उल्लेख है। घटना के बाद वादी मुकदमा द्वारा बिना विलम्ब किये थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा उसके तुरन्त बाद इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। ऐसी स्थिति में चोटहिल को चोटें अन्य किसी कारण या प्राकृतिक रूप से आयी हों, ऐसा साक्ष्य से दर्शित नहीं होता और न ही बचाव पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित हो सके कि चोटहिल को चोटें किसी अन्य कारण से या स्वाभाविक रूप से आयी हो। ऐसी स्थिति में चोटहिल को चोटें प्रश्नगत घटना में मारपीट से आने के अवधारणा के अतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

39. न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में पाँचों अभियुक्तगण दण्डित होंगे। इस सम्बन्ध में यह निश्चित है कि अभियुक्तगण द्वारा संयुक्त रूप से आक्रमण करके गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी, जिसकी पुष्टि पी0डब्लू-1 चोटहिल अवनीन्द्र कुमार दूबे, पी0डब्लू-2 सुरेन्द्र के बयान से होती है तथा घटना में पी0डब्लू-1 अवनीन्द्र कुमार दूबे को चोटें आयी, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। अतः यह साबित है कि सभी अभियुक्तगण की सहभागिता अपराध कारित करने में रही और सामान्य उद्देश्य का अनुमान केवल मामले के साबित तथ्यों से उत्पन्न परिस्थितियों से और साबित परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। धारा-149 भा0द0सं0 को लागू करने के लिए किसी विधि विरुद्ध जमाव जैसा कि धारा-141 भा0द0सं0 में प्रावधानित है, के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में यदि अपराध किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। प्रस्तुत मामले में उपरोक्त सभी अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में घटना कारित की गयी है, जैसाकि अभियोजन साक्षीगण के बयानों से घटना के तथ्य साबित हैं। समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में घटना वाले दिनांक, समय एवं स्थान पर अवनीन्द्र कुमार दूबे के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी।

40. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या जिन धाराओं का आरोप अभियुक्तगण पर लगाया गया है, उन सभी में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोप साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को अन्तर्गत 147, 148, 323/149, 504, 506, 308/149 भा0दं0सं0 के आरोप से आरोपित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं साक्षीगण के बयानों के विश्लेषण से घटना वाले दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे को मारा पीटा गया, जिससे उसे सिर व चेहरे पर गम्भीर चोटें आयी तथा चोटें पहुंचाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष ने साबित किया है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पूर्व में साक्षीगण के बयान के विश्लेषण तथा साक्ष्यों के विवेचन में निष्कर्ष दिया जा चुका है।

इस मामले में हमले का ढंग, हथियार की प्रकृति, चोटों की गम्भीरता व उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस मामले में सभी अभियुक्तगण द्वारा दि0 08.11.2000 को सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, लाठी डण्डा, बन्दूक से लैस होकर वादी मुकदमा को मारकर गम्भीर चोटें पहुँचायी गई। घटना को पी0डब्लू0-2 सुरेन्द्र द्वारा देखा गया। साक्षीगण से विस्तृत जिरह की गयी है किन्तु ऐसा तथ्य उजागर नहीं हुआ जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वादी मुकदमा के साथ ऐसी कोई घटना न हुयी हो और चक्षुदर्शी साक्षी सुरेन्द्र द्वारा घटना को न देखा गया हो। साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि “साक्ष्य को तोला जाता है न कि गणना की जाती है।” “गुणवत्ता को देखा जाता है न कि मात्रा को।” जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नामदेव बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2007 किमिनल लॉ जरनल 1819 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में भी अभिनिर्धारित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा घटना घटित होने के तुरन्त बाद तहरीर देकर मुकदमा लिखाया गया है और थाने की मजरूबी चिट्ठी के आधार पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में उसे उपरोक्त चोटें आना बताया गया है। चोटों की प्रकृति गम्भीर है, जैसा कि पूर्व में विवेचना की जा चुकी है। कोई भी दुश्मनी या रंजिश के बावत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि रंजिशन अभियुक्तगण का नाम लिया गया।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा-147,148, 323/149, 308/149 भा0द0सं0 साबित है।

जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा-504 एवं 506 भा0द0सं0 का प्रश्न है तो तहरीर एवं साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि किन विशिष्ट शब्दों में गालियाँ दी गयी व किस प्रकार से संत्रास कारित किया गया। धारा-504 भा0द0सं0 के उपबन्ध तभी आकृष्ट होंगे जबकि युक्तियुक्त अपमान किसी व्यक्ति का किया जाय और अपमान प्रकोपित करने वाला हो तथा अभियुक्त जानता हो कि इससे शांतिभंग हो जायेगी और अपराध कारित हो जायेगा। धारा-504 भा0द0सं0 के आरोप साबित होने के लिए जैसा कि धारा-504 भा0द0सं0 में वर्णित है कि यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि प्रकोपित करेगा, कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा। हस्तगत मामले में कोई ऐसा प्रकोपन का साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-504 भा0द0सं0 का अपराध साबित नहीं है।

धारा-506 भा0द0सं0 के उपबन्ध तभी आकृष्ट होंगे जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को शरीर, सम्पत्ति या ख्याति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को शरीर या ख्याति के क्षति करने की धमकी इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाय। जहाँ तक आपराधिक अभित्रास का प्रश्न है जैसा कि धारा-503 भा0द0सं0 में परिभाषित है। इस अपराध के गठन के आवश्यक तथ्य भी इस मामले में नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भा0द0सं0 का अपराध भी साबित नहीं है।

41 उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा- 147, 148, 323/149, 308/149 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा आरोप अन्तर्गत धारा- 504, 506 भा0द0सं0 को साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार **सत्र परीक्षण सं0 354/2001** मु0अ0सं0-294/2000 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-147, 148, 323/149, 308/149 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं तथा धारा-504, 506 भा0द0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को सत्र परीक्षण सं० 354/2001 मु०अ०सं०-294/2000 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-147, 148, 323/149, 308/149 भा०द०सं० में दोषसिद्ध किया जाता हैं तथा धारा-504, 506 भा०द०सं० के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार जमानत पर है। उनके द्वारा प्रस्तुत जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दि० 31.3.2022 को पेश हो।

दिनांक:-30.3.3022

(प्रीति श्रीवास्तव-III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,,
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।

दि० 31.3.2022

पत्रावली आज दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश है।

दोषसिद्ध शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियोजन पक्ष,दोषसिद्धगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं दोषसिद्ध को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से कथन किया गया है कि सभी अभियुक्तगण एक ही घर परिवार के हैं। पंकज कुमार को छोड़कर शेष सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। दोषसिद्ध जगदीश प्रसाद दूबे अत्यन्त वृद्ध एवं बीमार है। अतः कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गई।

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की तरफ से कथन किया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में, लाठी डण्डे, बन्दूक से लैस होकर वादी मुकदमा अवनीन्द्र कुमार दूबे को गम्भीर चोटें पहुँचायी गयी हैं। दोषसिद्धगण द्वारा गम्भीर अपराध किया गया है। अतः दोषसिद्धगण को उनके द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार प्रत्येक को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-308/149 भा०दं०सं० में 04 वर्ष के कठोर कारावास , धारा-323/149 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को 06 माह के साधारण कारावास, धारा-147 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को 06 माह के साधारण कारावास तथा धारा-148 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार **सत्र परीक्षण सं० 354/2001 मु०अ०सं०-294/2000** थाना लालगंज जिला- मीरजापुर में प्रत्येक को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-308/149 भा०दं०सं० में 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं अंकन 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा-323/149 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। धारा-147 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। धारा-148 भा०दं०सं० के आरोप में अभियुक्तगण प्रत्येक को एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि, यदि कोई हो, तो उपरोक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण शिवबहाल दूबे, जगदीश दूबे, पंचदेव, जयप्रकाश व पंकज कुमार सत्र परीक्षण सं० 354/2001 मु०अ०सं० 294/2000 थाना लालगंज जिला- मीरजापुर में प्रत्येक को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। तदनुसार सजायाबी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाये।

अभियुक्तगण को निर्णय व आदेश की प्रति अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

दिनांक:-31.03.2021

(प्रीति श्रीवास्तव-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक:-31.03.2021

(प्रीति श्रीवास्तव-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।

